International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 262-265

भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाः एक आंकलन

[1] डॉ. राजबीर सिंह दलाल, [2] शक्ति चौधरी

[1] प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा, भारत।

[2] शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा, भारत।

सारांश

किसी भी देश में उसकी जनता की आम जरूरतों (रोटी, कपडा और मकान) को पूरा करना उस दश के शासन और प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। सरकार का लोकतान्त्रिक स्वरूप भी यही कहता है कि वह (सरकार) लोगो की आम जरूरतों को पूरा करेगी और उनका अधिकतम विकास सुनिष्चित करेगी। 21वीं शदी में भी भारत के एक बहुत बड़े जन क्षेत्र को अपने खान–पान की समस्या से जुझना पड रहा है, जो कि इसके शासन और प्रशसन पर एक बडा प्रश्नचिन्ह है। चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ की गई 'हरित क्रान्ति' की बदौलत एक ओर जहां भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली, लेकिन दूसरी ओर यहॉ बृहत एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन न मिल पाने से भारत मे 60 प्रतिशत से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार है। इसके साथ–साथ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटयूट के अनुसार, ''भारत मे 20 करोड से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं। विडम्बना यह है कि भारत खाद्यान्न की कमी के कारण भूखा नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। वर्तमान में 10 करोड़ टन अनाज का भण्डार है जबकि प्रस्ताविक खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हमें चाहिए मात्र 6.2 करोड़ टन। यह एक दुखद सत्य है कि जिस देश में लाखों टन अनाज, चूहों और जानवरों की भेंट चढ़ जाते हैं, वहॉ के बच्चों और महिलाओं को बृहत एवं सूक्ष्म पोंष्टिक तत्वों से युक्त भोजन नही मिल पाता और गरीब जनता को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इस आलेख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, कुपोषण व भुखमरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्धनता आदि प्रमुख पहलुओं का अध्ययन एवं विष्लेषण किया गया है।

Keywords: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, कुपोषण व भुखमरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्धनता।

प्रस्तावना

विश्व के मानचित्र में भारत अपने विशाल क्षेत्र और जनसंख्या के कारण विशेष स्थान रखता है। आज भारत विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रिम है। वित्तवर्ष 2016–2017 की तीसरी तिमाही में नोटबंदी के बावजूद (8 नवम्बर, 2016) भारत में सकल घरेलु उत्पाद (जी0 डी0 पी0) दर 7.1 प्रतिशत रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विष्व मे दूसरा स्थान रखता है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विष्व मे सातवां स्थान रखता है । इसके जन–बाहुल्य को देखते हुए यह भी सोचना व समझना आवष्यक है कि जिस प्रकार इसके विकास और तरक्की के लिए उसकी जनसंख्या विशेष स्थान रखती है उसी प्रकार इस देश और इस देश की सरकार के लिए इनकी आम जरूरतों (रोटी, कपडा और मकान) को पूरा करने के लिए अनेक योजनाओं और लोक–कल्याणकारी कामों का संचालन करना पडता है। आज 21वीं शदी में भी भारत के एक बहुत बडे जन क्षेत्र को अपने खान–पान की समस्या से जुझना पड रहा है। बृहत एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन न मिल पाने से बच्चों मे कुपोषण बढता है, जिससे उनका भौतिक एवं बौद्धिक विकास नही हो पाता। जिससे अनेक बच्चों व महिलाओं को बहुत सी शारीरिक व मानसिक कमजोरियो का शिकार होना पड रहा है अर्थात वे कुपोषण के शिकार हैं या यूं कहें कि उनकी खाद्य जरूरतों की पूर्ति नही हो रही। अतः इतनी बडी जनसंख्या को सही समय पर एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना लोकतान्त्रिक ढंग से चुनी गई सरकार की पहली प्राथमिकता है।

किसी भी देश मे भुखमरी और कुपोषण एक ऐसा कड़वा सच है, जिससे निपटे बिना विकास की कल्पना करना नामुकिन या यूं कहें कि भ्रम है। सदियो की यह चुनौती 21वीं शताबदी मे भी हमारे सामने खडी है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन 2100 कैलोरी उर्जा देना विष्व के कई देशो के लिए मुष्किल ही नही नामुमकिन है। भारत में भी खाद्यान्न आपुर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 1997 मे लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना की शुरूआत की गई थी। भारत वैष्विक खाद्यान्न उत्पादन मे दूसरे नम्बर पर आता है, फिर भी भारत मे कई राज्यों के लोग भुखमरी की चपेट मे है जिनकी संख्या अफ्रीकी देश इथीयोपिया या सुडान से भी ज्यादा है। भारत मे बच्चे 60 प्रतिशत से भी ज्यादा कुपोषण के शिकार है, यह तब है जब भारत में खाद्यान्न की कोई कमी नही है। इंटरनेशनल फुड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीटयूट के अनुसार भारत मे 20 करोड से ज्यादा लोग भुखे पेट सोते है, जो पूरे विष्व के आंकडो मे सबसे ज्यादा है। कैग रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत के बिहार राज्य में लगभग हर बच्चा कुपोषित है जब्कि राजधानी दिल्ली का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यही हाल ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश का भी है, जबकि राजस्थान, उतर प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड में पॉच मे से दो बच्चे कुपोषित है। इतना ही नही जिस राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीन बार रहे हैं वह राज्य गुजरात कुपोषित राज्यों की सुची में दूसरे पायदान पर है। सेव द चिलड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना 5 हजार से भी अधिक बच्चे कुपोषण के चलते दम तोड देते है।

विडम्बना यह है कि भारत खाद्यान्न की कमी के कारण भूखा नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भरे हुए हैं। वर्तमान में 10 करोड़ टन अनाज का भण्डार है जबकि प्रस्ताविक खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हमें अनाज की मात्र 6.2 करोड़ टन चाहिए। यह एक दुखद सत्य है कि जिस देश में लाखों टन अनाज चूहों और

जानवरों की भेंट चढ़ जाते हैं। सरकारी गोदामों में लाखों टन से अधिक खाद्यान्न का स्टॉक रहने के बावजूद देश में भूखमरी है। देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धनता के चलते खाद्य पदार्थों को खरीदने में असमर्थ है जिसके कारण उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। यह आर्थिक विषमता और वितरण प्रणाली की खामियों को स्पष्ट करता है। जो व्यापक रूप में देश के शासन–प्रशासन तथा प्रबन्ध की लाचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिये कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त और उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। गरीब जनसंख्या तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को प्रारम्भ किया। इस योजना के अंतर्गत गांवों में 75 फीसदी और शहरों की 50 फीसदी आबादी को अनाज प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को रियायती दर पर सात किलो अनाज प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह पाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति कम से कम तीन किलो अनाज प्रतिमाह पाने का अधिकार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 125 करोड़ लोगों में से 67 प्रतिशत को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का वायदा किया गया है।

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिए जाने तथा अधिक अन्न उपजाओ के नारे को सार्थक बनाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ की गई 'हरित क्रान्ति' की बदौलत एक ओर जहां भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली, वहीं दुसरी ओर खाद्यान्न के इस बढते उत्पादन के बावजूद देश मे व्यापक स्तर पर फैली निर्धनता ने 'खाद्य सुरक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने मे बाधा उत्पन्न कर दी। एम0 पी0 बोरा ने खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन पर प्रष्नचिन्ह लगाते हुऐ अपनी पुस्तक, "फूड एडमिनीस्ट्रेशन इन इंडिया' में लिखा कि खाद्य प्रशासन के विकास, राज्य सरकारों की दखलबाजी, खाद्य प्रशासन के संगठन तथा कार्य प्रणाली के मुख्य पहलुओं एवं खाद्य प्रशासन में जन सहभागिता को सम्मिलित किया है। इस शोध में उन्होनें पाया कि खाद्य पदार्थों के वितरण में अमीरों को अधिक लाभ दिया गया है और लाभ प्राप्त करने वाले अधिकतर लोग ऐसे रहे हैं जिनकी आय अधिक है। अन्य शोधों में भी ऐसे अनेक बिन्दुओं पर समाज वैज्ञानिकों तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा समय–समय पर प्रकाश डाला गया है।

भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहां की जनसंख्या खाद्य सामग्री की समस्या का सामना कर रही है। भारत ने स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं फिर भी हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार अनेक वर्षों से प्रयत्न कर रही है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करने के बाद भी भारत में गरीबी का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए अनेक योजनाओं की शुरूआत की गई। भारत सरकार ने 1960 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरम्भ किया और इसे संशोधित करते हुए जून 1997 में यह कार्यक्रम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में प्रारम्भ किया। विगत वर्षों में सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बल देने वाली जो योजना चलाई गई उनमें सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना, अनिवार्य रोजगार वाली मनरेगा कुछ कारगर साबित हुई। लेकिन व्यवस्था में भ्रष्टाचार के कारण लाभ उस हद तक नहीं हुआ जो अपेक्षित था। निर्धनता को मापने के लिए कैलोरी से रूपये तक अलग अलग पैमानो का प्रयोग किया गया है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27.20 रूपये व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 33.33 रूपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। शहरी क्षेत्रों में 5 सदस्यों वाले परिवार का मासिक उपभोग खर्च 5000/– रूपये प्रति माह से कम होने पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4080/– रूपये प्रति माह से कम होने पर संबंधित परिवार को निर्धनता रेखा से नीचे स्वीकार किया गया है। निःसन्देह देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्न– भिन्न रही है और गत दो से अढाई दशकों में इसकी मात्रा में कमी भी आई है किन्तु समय के साथ निर्धनता के पैमाने भी बदलते रहे है।

तालिका 1: भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़ों को ग्रामीण और शहरी आधार पर नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत)			निर्धनों की संख्या (करोड़)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1993–94	50.1	31.8	45.3	32.86	7.45	40.37
2004–05	41.8	25.7	37.2	32.63	8.08	40.71
2009–10	33.8	20.9	29.8	27.82	7.64	35.47
2011–12	25.7	13.7	21.9	21.65	5.28	26.93

स्त्रोतः प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर, 2013, पृष्ठ संख्या 249.

उपरोक्त तालिका के अनुसार 1993–94 में भारत में निर्धनता शहरी क्षेत्रों में कुल आबादी का 50.1 प्रतिशत थी व 2004–05 में यह आंकड़े गिरकर 41.8 प्रतिशत, 2009–10 में 33.8 प्रतिशत व 2011–12 में 25.7 प्रतिशत हो गये है। वहीं 1993–94 में निर्धनता भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 31.8 प्रतिशत थी व 2004–05 में यह आंकड़े गिरकर 25.7 प्रतिशत, 2009–10 में 20.9 प्रतिशत व 2011–12 में 13.7 प्रतिशत हो गये है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा न केवल ज्यादा रहा है अपितु 2011–2012 तक भी लगभग दो गुणा बना हुआ है। वहीं यदि संख्या के आधार पर देखें तो 2011–2012 में शहरी गरीबों की संख्या ग्रामिणों कि अपेक्षा चार गुणा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की अवधारणा

खाद्य सुरक्षा उस स्थिति को कहते हैं जिसमें हर नागरिक को समय पर समुचित मात्रा में स्वस्थ्य जीवन के लिए स्वास्थ्य–वर्धक खाना उपलब्ध हो तथा सरकार उपभोक्ताओं की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें सस्ती कीमतों पर मौलिक वस्तुओं को उपलब्ध करवाती है ताकि उन्हें उनकी बढ़ती हुई कीमतों से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल पर कांग्रेसनीत सरकार ने 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 जारी करके भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त, 2013 से राष्ट्रीय

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर दिया।

देश की दो तिहाई आबादी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए कानून बनना अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन के सर्वेक्षण के आधार पर नये कानून का दायरा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक रखने का फैसला किया गया है। इस तरह नया खाद्य सुरक्षा कानून देश की लगभग 67 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवायेगा, जिसका अनुमानिक आंकड़ा 82 करोड़ आबादी के आसपास बैठता है, इस आबादी में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हर माह पांच किलो गेहूं, चावल और मोटा अनाज क्रमशः तीन, दो और एक रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जायेगा। इस लिहाज से इसे विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी सरकारी योजना कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सम्पूर्ण भारत में 5 जुलाई, 2013 से लागू है।
- सार्वजनिक वितरण–प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में गेहूँ का निर्गम मूल्य 3 रू प्रति किग्रा, चावल का 5 रू प्रति किग्रा तथा मोटे अनाज का 1 रू प्रति किग्रा होगा। इन मूल्यों का 3–3 वर्षों के अन्तराल पर संशोधित किया जाएगा।
- 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से पकाया हुआ भोजन निःशुल्क मिलेगा तथा 6–14 वर्ष आयु वाले बच्चों को उनके विद्यालयों में मध्याह् भोजन मिलेगा।
- देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या समग्र रूप से देश की दो–तिहाई जनसंख्या को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति परिवार प्राप्त होगा।
- स्तनपान को अनन्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
- कुपोषित बच्चों को निःशुल्क भोजन मिलेगा।
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रसव के बाद 6 माह तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पकाया हुआ भोजन तथा 6000 रू का मातृत्व लाभ मिलेगा।
- यदि राज्य सरकार किसी अर्ह परिवार/व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाती, तो उन्हें ऐसे परिवार/व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान अपने स्रोतों से करना होगा।
- कार्यक्रम के अंतर्गत जारी हाने वाले राशन कार्डों पर परिवारों के मुखिया के रूप में परिवार की सर्वाधिक आयु वाली महिला '18 वर्ष से अधिक आयु' का नाम दर्ज होगा।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य खाद्य आयोग गठित होंगे।

खाद्य सुरक्षा विधेयक के लागू होने पर 6 करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल तक खाद्यान्न की औसत खरीद लगभग 485 करोड़ टन रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक खाद्य स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, भूख से प्रभावित कुल आबादी में से 25 फीसदी लोग भारत में रहते हैं जहां कृषि उत्पादन एक दशक से ठहरा हुआ है। इससे खाद्यान्न की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 1991 के मुकाबले 510 ग्राम से घटकर 2007–08 में 439 ग्राम पर आ गई है। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडैक्स के मामले में 81 देशों की सूची में भारत 67 वें नंबर पर है। इस सूची में जिस देश का स्थान जितना नीचा होता है वह उतना ही भूख पीड़ित माना जाता है। अनाज की सालाना पैदावार 1995 में प्रतिव्यक्ति 207 कि0 ग्राम थी जो अब घटकर 186 कि0ग्राम हो गई है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जी0 डी0 पी0 के तीन फीसदी से गिरकर 1.7 फीसदी हो गई है। भारत 1970 के दशक से खाद्यान्न उत्पादन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर रहा है। 2006–07 को छोड़कर अनाज आयात की स्थिति नहीं आई। दालों और तिलहन का उत्पादन आवश्यकताओं से कम रहा और इसकी वजह से इनका आयात भारी मात्रा में होता रहा। गल्ले का स्टॉक सरकारी गोदामों में इतनी मात्रा में है कि यदि वितरण व्यवस्था ठीक हो तो कोई भूख न मरे। सरकारी वितरण की व्यवस्था के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को कम दामों में गेहूं और चावल उपलब्ध कराने की योजना वर्षों से चल रही है, लेकिन बहुत बड़ी तादात में गरीब जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाः पात्रता शर्तें:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें रखी गई।

- इस योजना के लिए परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता या व्यावसायिक करदाता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार के सभी मदों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजान के लिए परिवार का कोई भी सदस्य हरियाणा वैट अधिनियम, 2003 के तहत पंजीकृत असैंस्सी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार का कोई भी सदस्य 2 हैक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार का कोई भी सदस्य राज्य के नगर निगम व नगर परिषद के अधीन 250 वर्ग गज या इससे अधिक स्थान पर बने घर या 1500 वर्ग से अधिक अतिरिक्त स्थान में बने प्लाट का स्वामी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार का कोई भी सदस्य वातानुकूलन (ए0 सी0) का स्वामी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार के किसी भी सदस्य के पास चौपाहिया मोटर वाहन जैसे कार, जीप, वैन, फोरव्हीलर इत्यादि का स्वामी नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र प्रशासित या इनके परिषद, निगम, उद्यम, उपक्रम, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर सुधार न्यास इत्यादि का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजनाएँ 2012–17 के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अनेक जनकल्याण योजनाओं जैसे– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जोकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कार्य कर रही है, को काफी महत्व दिया गया। इस योजना के अर्न्तगत 2012–13 के लिए वार्षिक अनुदान 84554 करोड़ दिया गया था। 2013–14 में इसे बढ़ाकर 89740.20 करोड़ कर दिया तथा 2014–15 के बजट में इसे 110500 करोड़ रूपये कर दिया गया। इस योजना में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी खरीद वाले अनाज के भण्डारण की दूर्दशा, कालाबाजारी और खाद्यान्नों के बंटवारे में अनियमितता जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है। क्योंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को दुरूस्त और पारदर्शी बनाने के कदम अभी तक उठाए गए हैं और न ही भण्डारण की क्षमता सुधारी गई है। जबकि पीडीएस को विकेन्द्रीकृत स्वरूप देने

की जरूरत पहले से बढ़ गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 4871.48 करोड़ रूपये का अनुमानित बजट की मांग की गई थी परंतु योजना आयोग द्वारा 1523 करोड़ रूपये का बजट लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्वीकृत किया गया।

हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाः

भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गठन राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य तथा जिला स्तर पर भी किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,53,53,081 है। जिसमें से 88,21,588 लोग शहरों में रहते हैं तथा 1,65,31,493 लोग गांवों में रहते है इस प्रकार प्रदेश की 2/3 आबादी ग्रामीण है।। हरियाणा भारत का कृषि प्रधान राज्य है। देश में हरियाणा का खाद्य उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य में 12,53,613 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। 1970 के दशक में हरियाणा ने हरित क्रांति को अपनाकर देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया। हरियाणा में 70 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं। हरियाणा खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। केन्द्रिय स्तर पर खाद्य सहभागिता में हरियाणा का पंजाब के बाद दूसरा स्थान आता है। हरियाणा की प्रमुख फसलों में गेहूं और चावल है।

हरियाणा ने योजना क्रियान्वयन में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। चार राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना 20 अगस्त, 2013 से शुरू करने की घोषणा केन्द्र ने की थी पर हरियाणा में न केवल यह शुरू हुई बल्कि लागू भी हो गई है। यह चौथी केन्द्रिय योजना है जो राज्य में सबसे पहले लागू हुई, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 20 अगस्त 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत पानीपत जिले में शुरू की। ग्रामीण क्षेत्र के 54.6 प्रतिशत यानि 10.28 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 41.05 प्रतिशत यानि 36.21 लाख परिवार या लोग अर्थात राज्य की कुल 49.89 प्रतिशत यानि 126.49 लाख जनसंख्या इस योजना से लाभान्वित होगी।

हरियाणा में पहले चरण में 20 अगस्त, 2013 से केवल अन्त्योदय अन्न योजना के तहत, केन्द्रीय गरीबी रेखा तथा राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार ही इस योजना में शामिल किए गए। इस योजना के तहत अंत्तोदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रू प्रति किलो के हिसाब से मिलना शुरू हो गया जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति सदस्य पांच किलोग्राम गेहूं हर महीने से दो रूपये की दर से 1 सितम्बर 2013 से मिलना शुरू हो गया। दाल–रोटी योजना के अंतर्गत अंत्तोदय अन्न योजना परिवारों केन्द्रिय गरीबी रेखा और राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को 2.5 किलोग्राम दाल 20 रू प्रति किलो की दर से सितम्बर 2013 से मिलनी शुरू हो गई। हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमुख लक्ष्य जनसंख्या को पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का मासिक कोटा उपलब्ध करवाकर उनकी खाद्य सुरक्षा निश्चित करनी है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए बहुत ही आवष्यक है माना कि यह कार्यक्रम देश के हालात को सुधारने और देश की भूखमरी व कुपोषण की समस्या को निपटाने में सक्षम नही रहा है, फिर भी देष में इसकी प्रासंगिकता को नकारा नही जा सकता। बजारीय व्यवस्था के चलते देश में संसाधनों का मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रीयकरण हो रहा है। मुंबई (46000 करोडपतियों) देश में एक नम्बर पर है तो दिल्ली (23000 करोडपतियों) के साथ नम्बर दो पर है वहीं बेंगलुरू (7700 करोडपतियों) अमीरी के लिहाज से देश में तीसरे नम्बर पर है। इस प्रकार देश में कुल करोड़पतियों की संख्या 2.64.000 तथा अरबपतियों की संख्या 95 है। जो देश की कुल सम्पदा के बहुत बडे हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है, वहीं लगभग आधी आबादी आज भी अपनी मूलभूत आवष्यकताओं को पूरा करने में असफल है। यह कार्यक्रम भारत जैसे विराट आबादी वाले देश जिसकी आबादी वर्ष 2025 तक लगभग 150 करोड होगी उसमे गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं व अशिक्षा से लड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक गरीब, असहाय और वंचित वर्ग के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, कल का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अहम हो सकती है अगर इसको सरकार दृढ़ता एवं ईमानदारी से लागू करे और जरूरतमंद को लाभ प्रदान करे। यह गरीब, असहाय और वंचित वर्ग को मध्य वर्ग में पहुॅचाने के लिए कड़ी का काम कर सकती है। सरकार के अतिरिक्त उपभोक्ता वर्ग, मीडिया तथा गैर–सरकारी संगठन भी इस कार्यक्रम की सफलता को तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सन्दर्भ सूचीः–

1. दैनिक ट्रिब्यून, बठिडां, 01 मार्च, 2017 पृ. 9।
2. झुनझुनवाला, भरत खाद्य सुरक्षा पर ग्लोबल वार्मिंग का साया, दैनिक ट्रिब्युन, बठिंडा, 08 सितंबर, 2015ए पृ. 08।
3. बोरा, पी0 एम0, फूड एडमिनीस्ट्रेशसन इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ इंडिया स्टेट, अजन्ता प्रकाशन, दिल्ली, 1982 पृ. 231।
4. प्रतियोगिता साहित्य सीरिज, भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, वर्ष 2010 पृ. 163।
5. चौहान, एस0 एस0 सिहं, कृषि पर समझौता और भारत का राष्टीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2014, पृ. 1072।
6. रूपा, बिहार में खाद्यन के उचित प्रबन्धन में जनवितरण प्रणाली की भुमिका, प्रतियोगिता दर्पण, अक्टुबर, 2009 पृ. 514–515.।
7. षंकर, रवि, आसान नही लक्ष्य हासिल करना, दैनिक ट्रिब्युन, बठिंडा, 10 अगस्त, 2015, पृ. 10।
8. 'कब मिलेगी कुपोषण और भुखमरी से निजात', दैनिक ट्रिब्युन, बठिंडा, 23 जून, 2015, पृ. 09।
9. सिन्हा, श्रुति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च, 2012 पृ. 1485–1487।
10. पाल, शंकर राम, कुपोषण एवं गरीबी उन्मुलन का एक सषक्त प्रयासःखाद्य सुरक्षा योजना, प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर, 2014, पृ. 94–95।
11. दैनिक जागरण, हिसार, 5 जुलाई, 2013, पृ. 9।
12. उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2001–2002।
13. वाषिक रिपोर्ट, खाद्य प्रसंस्करण क्षैत्र में अनुसंधान, विकास, नई पहलें एवं भावी योजनाएं–बढते चरण, प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर, 2013, पृ. 382–383।
14. खाद्य आपूर्ति नागरिक एवं उपभोक्ता विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
15. www.google.co.in
16. wwww.wikipedia.com